

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: राजपत्रित/डीपीसी/2016/

दिनांक

समस्त संयुक्त निदेशक, जोन

समस्त प्रधानाचार्य, संलग्न चिकित्सालय समूह

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी

विषय :- चिकित्सको की डी.ए.सी.पी. स्कीम के तहत पदोन्नति हेतु ए.सी.आर. भिजवाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि चिकित्सको को डी.ए.सी.पी. स्कीम के तहत बकाया पदोन्नति शीघ्रति-शीघ्र प्रदान किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, अतः संलग्न सूची में अंकित चिकित्सको की बकाया ए.सी.आर. निर्धारित चैनल से पूर्ण कर दिनांक 29.12.2016 तक व्यक्ति विशेष के द्वारा निदेशालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे। ए.सी.आर. के अभाव में यदि कोई चिकित्सक पदोन्नति से वंचित रहता है, तो उसकी समस्त जिम्मेदारी व्यक्तिशः आपकी होगी।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

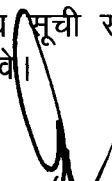

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: राजपत्रित/डीपीसी/2016/ 1730

दिनांक 26.12.16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. संबंधित चिकित्सको को भेजकर लेख है, कि आपकी बकाया ए.सी.आर. भरकर निर्धारित चैनल से पूर्ण कराकर दिनांक 29.12.2016 तक स्वयं निदेशालय में प्रस्तुत करें। आपके द्वारा बकाया ए.सी.आर. भरकर प्रतिवेदक अधिकारी को प्रस्तुत कर दी गई है तो उन्हें निर्धारित चैनल से भरवाकर प्रस्तुत करें, यदि ए.सी.आर. के अभाव में पदोन्नति से वंचित रहने पर इसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।
5. प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है, कि पत्र मय सूची संबंधित को मेल करते हुए विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करवाने का श्रम करावे।


निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर